



2026: AHC: 30131-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **1595/2026**

प्रवीण कुमार एवं अन्य याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: रितेश कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: विवेक कुमार मिश्रा, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. श्री विवेक कुमार मिश्रा ने आज न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकालतनामा और संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिन्हें रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए., प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक कुमार मिश्रा को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. शुरुआत में ही, विद्वान ए.जी.ए. ने इंगित किया है कि वर्तमान मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोप-पत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत किया जा चुका है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके और उन्होंने कहा कि वे रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और उचित स्तर पर उचित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
5. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।
6. नियमों के अनुसार एफ.आई.आर. की प्रमाणित प्रति वापस कर दी जाए।

10 फरवरी, 2026

के.एस.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"